न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 35/2020

1. उमराव सिंह आयु 72 वर्ष पुत्र स्व. पीरूराम जाति अहीर निवासी पाथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2. रणजीत सिंह आयु 65 वर्ष पुत्र स्व. पीरूराम जाति अहीर निवासी पाथरोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. पीरूराम आयु 70 वर्ष जाति अहीर निवासी पाथड़ौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2. लाली आयु 51 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति अहीर निवासी पाथड़ौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
3. छोटा आयु 48 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति अहीर निवासी पाथड़ौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
4. सरोज आयु 45 पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति अहीर निवासी पाथड़ौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
5. संतोष आयु 43 वर्ष पुत्री स्व. रामचन्द्र जाति अहीर निवासी पाथड़ौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
6. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सागा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अं0धारा 75 भू0—राजस्व अधिनियम 1956
खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 557 आदेश दिनांक 24.8.2016

उपस्थिति:—

1. श्री शिवहरि प्रसाद , एडवोकेट ——— ———अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजेश पूनियां,एडवोकेट ——————रेस्पोंडेंट नंबर 1 से 5 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————रेस्पोडेन्ट नंबर 7 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 02.8.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय न्याया[illegible] नामान्तरकरण संख्या 557 आदेश दिनांक 24.8.2016 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षे[illegible] के तथ्य इस प्रकार हैं कि— तहसीदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.8.2016 [illegible] न्याय [illegible] होने से खारिज होने योग्य है। नामांतरण [illegible] खसरा नंबर 50/2 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

हैक्टर, खसरा नंबर 88/3 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नंबर 351/1 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नंबर 830/1 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 0.93 हैक्टर सरहद मौजा पाथडोली में रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायत 5 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में रेस्पोडेंट संख्या 7 के आदेशानुसार दिनांक 24.8.2016 रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा बिना विधिपूर्ण उपचार पत्र दिनांकित 16.3.2012 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 557 स्वीकार किया गया जो अवैध, शून्य, कपटपूर्वक, बिना क्षेत्राधिकार होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा नामांतरकरण दर्ज करते समय भौतिक कब्जे की जांच नहीं की गई। अपीलांटगण प्रश्नगत भूमि पर गत 40 वर्ष से पूर्व से खुद काश्त कर रहे हैं। नामांतरकरण की कार्यवाही के वक्त इसके भौतिक कब्जे का उल्लेख नामान्तरकरण की पुश्त पर किया जाना आवश्यक होता है जो नामांतरकरण संख्या 557 पर अंकन नहीं है। पटवारी हल्का पाथड़ौली गांव के मौतबीर व्यक्तियों के सामने तैयार की गई थी से सपष्ट साबित होता है कि जमीन जेर बहस पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का नहीं है, अपीलांटगण खुद काश्त हैं।

अपीलांट्स ने आगे कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना में उनवानी उमराव सिंह वगैरह बनाम लाली वगैरह में मु0न0 116/2012 घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 78/2012 में दिनांक 29.5.2012 को अपीलांट का कब्जा काश्त मानकर प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन मानकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेंट स्वीकार की,कि प्रश्नगत भूमि रहन,बेचान हस्तान्तरित नहीं करे, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, अपीलांटगण के कब्जे में दखल नहीं करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली सुनवाई हेतु टांसफर उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के होने पर बाद सुनवाई दिनांक 21.2.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा को तादौराने निर्णय पुस्ट/कनफर्म कर दिया जिसकी अपील रेस्पोडेंटगण ने श्रीमान भू–प्रबन्धक अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनू में पेश की थी। रेस्पोडेन्ट की अपील संख्या 26/2014 उनवानी लाली बनाम उमराव दिनांक 9.10.2014 को खारिज कर दी। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा एवं श्रीमान भू–प्रबन्धक अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की जो सारहीन होने से दिनांक 7.9.2015 को खारिज दी तथा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश की पुष्टि की गई जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को थी, रेस्पोडेन्ट उक्त आदेश [illegible] बदस्तूर एवं प्रभावी है। इन सबसे स्पष्ट साबित है कि जमीन जेर बहस बिना कब्जे [illegible] स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत ने राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 व राजस्थान लै[illegible]रिकार्ड रूल्स 1957 के नियमों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अनदेखा कर निर्णय जैर बहस पारित किया है जो तथ्य व विधि की भूल होने से खारिज होने योग्य है।

अदालत मातहत ने जमीन जैर बहस में दर्ज नामांतरकरण संख्या 557 दिनांक 24.8.2016 को होना अंकित किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में उन्हीं पक्षकारों के मध्य दो मुकदमें उमराव सिंह वगैरह बनाम लाली वगैरह एवं उनवानी महावीर वगैरह बनाम उमराव वगैरह दोनों मुकदमों में साथ–साथ विचारण हेतु दिनांक 1.8.2013 से 10.5.2016 तक पेशियां चली,लेकिन रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 10.5.2016 के बाद आगामी पेशी दोनों प्रकरण में 22.9.2016 तय हो चुकी थी उमराव बनाम लाली में 2.8.2016 एवं महावीर बनाम उमराव में 11.8.2016 तय करवाकर उमराव बनाम लाली को निर्धारित पेशी से पहले ही खारिज करवा दिया तथा दिनांक 12.8.2016 को पुनः नंबर पर लिया गया। दावे को नंबर पर लेते ही पहले वाले आदेश प्रभावी हो जाते हैं। उक्त दोनों मुकदमों में रेस्पोडेंन्ट नंबर 7 पक्षकार रहे है, स्टे के प्रभावी होने की जानकारी होने पर भी रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 को अनुचित लाभ पंहुचाने के लिए अं0 धारा 78 राज0 भू राजस्व अधि0 अपील अवधि 60 दिन को नजर अन्दाज करते हुये जमीन जेर बहस नामांतरकरण दिनांक 24.8.2016 स्वीकृत किया गया जो खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 व 7 को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की पूर्ण जानकारी थी,लेकिन बिना किसी कानूनी प्रावधान के प्रश्नगत भूमि के रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ कर रिकार्ड को बदला है तथा रिकार्ड चेंज कर दिनांक 24.10.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पास रहन करके कानूनी गलती की है। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश बाबत नामांतरकरण संख्या 557 दिनांकित 24.8.2016 ग्राम पाथड़ौली तहसील बुहाना को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– नामांतरण जेर बहस जमीन हाल खसरा नंबर 50/2 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 88/3 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नंबर 351/1 रकबा 0.2[illegible] हैक्टर, खसरा [illegible] 330/1 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 0.93 हैक्टर सरहद [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में रेस्पोडेंट संख्या 7 के [illegible] 24.8.2016 रेस्पोडेंट संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

लगायत 5 के द्वारा बिना विधिपूर्ण उपचार पत्र दिनांकित 16.3.2012 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 557 स्वीकार किया गया जो अवैध, शून्य, कपटपूर्वक, बिना क्षेत्राधिकार होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा नामांतरकरण दर्ज करते समय भौतिक कब्जे की जांच नहीं की गई। अपीलांटगण प्रश्नगत भूमि पर गत 40 वर्ष से पूर्व से खुद काश्त कर रहे हैं। नामांतरकरण की कार्यवाही के वक्त इसके भौतिक कब्जे का उल्लेख नामान्तरकरण की पुश्त पर किया जाना आवश्यक होता है जो नामांतरकरण संख्या 557 पर अंकन नहीं है। पटवारी हल्का पाथड़ौली गांव के मौतबीर व्यक्तियों के सामने तैयार की गई थी से सपष्ट साबित होता है कि जमीन जेर बहस पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का नहीं है, अपीलांटगण खुद काश्त हैं।

अपीलांट्स ने आगे कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना में उनवानी उमराव सिंह वगैरह बनाम लाली वगैरह में मु0न0 116/2012 घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 78/2012 में दिनांक 29.5.2012 को अपीलांट का कब्जा काश्त मानकर प्रथगदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन मानकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक अपीलांट विरुद्ध रेस्पोडेंट स्वीकार की,कि प्रश्नगत भूमि रहन,बेचान हस्तान्तरित नहीं करे, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे, अपीलांटगण के कब्जे में दखल नहीं करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली सुनवाई हेतु टांसफर उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के होने पर बाद सुनवाई दिनांक 21.2.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा को तादौराने निर्णय पुस्ट/कनफर्म कर दिया जिसकी अपील रेस्पोडेंटगण ने श्रीमान भू–प्रबन्धक अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय सीकर कैम्प कोर्ट झुंझुनू में पेश की थी। रेस्पोडेन्ट की अपील संख्या 26/2014 उनवानी लाली बनाम उमराव दिनांक 9.10.2014 को खारिज कर दी। उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा एवं श्रीमान भू–प्रबन्धक अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की जो सारहीन होने से दिनांक 7.9.2015 को खारिज दी तथा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा एवं राजस्व अपील अधिकारी सीकर के आदेश की पुष्टि की गई जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को थी, रेस्पोडेन्ट उक्त आदेश से पाबन्द है जो आदेश आज भी बदस्तूर एवं प्रभावी है। इन सबसे स्पष्ट साबित है कि जमीन जेर बहस बिना कब्जे नमांतरकरण स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत ने राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 व राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियमों को अनदेखा कर निर्णय जैर बहस पारित किया है जो तथ्य व विधि की भूल होने से खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

अदालत मातहत ने जमीन जैर बहस में दर्ज नामांतरकरण संख्या 557 दिनांक 24.8.2016 को होना अंकित किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में इन्हीं पक्षकारों के मध्य दो मुकदमें

अति. जिला कलेक्टर
झुझुनूं

उमराव सिंह वगैरह बनाम लाली वगैरह एवं उनवानी महावीर वगैरह बनाम उमराव वगैरह दोनों मुकदमों में साथ–साथ विचारण हेतु दिनांक 1.8.2013 से 10.5.2016 तक पेशियां चली, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 10.5.2016 के बाद आगामी पेशी दोनों प्रकरण में 22.9.2016 तय हो चुकी थी उमराव बनाम लाली में 2.8.2016 एवं महावीर बनाम उमराव में 11.8.2016 तय करवाकर उमराव बनाम लाली को निर्धारित पेशी से पहले ही खारिज करवा दिया तथा दिनांक 12.8.2016 को पुनः नंबर पर लिया गया। दावे को नंबर पर लेते ही पहले वाले आदेश प्रभावी हो जाते हैं। उक्त दोनों मुकदमों में रेस्पोडेंन्ट नंबर 7 पक्षकार रहे है, स्टे के प्रभावी होने की जानकारी होने पर भी रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 को अनुचित लाभ पंहुचाने के लिए अं0 धारा 78 राज0 भू राजस्व अधि0 अपील अवधि 60 दिन को नजर अन्दाज करते हुये जमीन जेर बहस नामांतरकरण दिनांक 24.8.2016 स्वीकृत किया गया जो खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 व 7 को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की पूर्ण जानकारी थी,लेकिन बिना किसी कानूनी प्रावधान के प्रश्नगत भूमि के रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ कर रिकार्ड को बदला है तथा रिकार्ड चेंज कर दिनांक 24.10.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पास रहन करके कानूनी गलती की है। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश बाबत नामांतरकरण संख्या 557 दिनांकित 24.8.2016 ग्राम पाथड़ौली तहसील बुहाना को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पोंडेट नम्बर 1 सें 5 नें कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा एल0आर0एक्ट 1956 अं0 धारा 135 (2) में किये गये निर्णय के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा नामांतरकरण संख्या 557 दिनांकित 24.8.2016 तस्दीक करने से पूर्व एल0आर0एक्ट 1956 अं0 धारा 135 (2) में प्रकरण दर्ज कर पक्षकारों को विधिवत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है और पारित निर्णय के आधार पर विधिवत रूप से उक्त नामांतरकरण संख्या 557 दिनांकित 24.8.2016 तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा एल0आर0एक्ट 1956 अं0 धारा 135 (2) में किये गये निर्णय के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा नामांतरकरण संख्या 557 दिनांकित 24.8.2016 तस्दीक करने से पूर्व प्रकरण अं0 धारा 135 (2) एल0 आर0 एक्ट 1956 में दर्ज कर पक्षकारों को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है और पारित निर्णय के आधार पर उक्त नामांतरकरण संख्या 557 दिनांकित 24.8.2016 तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रकरण अं0 धारा 135 (2) एल0 आर0 एक्ट 1956 के अन्तर्गत सुना जाकर उक्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया है, धारा 135 (2) एल0 आर0 एक्ट 1956 के अन्तर्गत नामांतरकरण संबंधी प्रकरणों की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ना होकर न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त, जयपुर को प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट्स इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 02.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:44 IST
Reason: SelfAttested